

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 2014/पौष 20, 1935

No. 77]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 2014/PAUSHA 20, 1935

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2014

का.आ.77(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वहन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वहन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2014 है।

(2) यह, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्वहन) हटाना आदेश, 2002 के खण्ड 7 में विद्यमान स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के उपरान्त निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“स्पष्टीकरण 2: यदि, महानिदेशक, विदेश व्यापार द्वारा जारी किया गया आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारक, कोई थोक विक्रेता अथवा फुटकर विक्रेता या व्यौहारी यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि खाद्य तेल, खाद्य तिलहन और चावल के संबंध में उसका पूरा स्टॉक अथवा उसका कोई भाग निर्यात के लिए तात्पर्यित है, तब निर्यात के लिए तात्पर्यित निर्धारित स्टॉक को स्टॉक सीमाओं की गणना के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा”।

[फा.सं. 11/1/2012-ईसीआरएंडई]

जी. गुरुचरण, अपर सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****ORDER**

New Delhi, the 9th January, 2014

S.O. 77 (E).— In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely:—

1. (1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2014.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Removal of (Licensing requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, in clause 7, the existing Explanation shall be numbered as Explanation 1 thereof and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanation shall be inserted, namely:—

“Explanation 2: If a wholesaler or retailer or dealer having Importer-Exporter Code Number issued by the Directorate General of Foreign Trade is able to demonstrate that the whole or part of his or her stocks in respect of edible oil, edible oilseeds and rice are meant for exports, then, the stocks meant for exports shall be excluded for the purpose of calculation of stock limits”.

[F. No.11/1/2012-ECR&E]

G. GURUCHARAN, Additional Secy.